संख्या-I/1441100/11-2026-1207-57-1099-12-2023

प्रेषक,

राजमन सरोज,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2026

विषय:- **काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अंतर्गत स्थापित वैदिक विज्ञान केन्द्र सुचारू संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप कुलसचिव (विकास), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के पत्र संख्या-आर./डेव/डी/वैदिक विज्ञान केन्द्र/बजट/2026-27/6005/91478, दिनांक-18.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अंतर्गत स्थापित वैदिक विज्ञान केन्द्र सुचारू संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अंतर्गत स्थापित वैदिक विज्ञान केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 84 के लेखा शीर्ष- 2075-विविध सामान्य सेवायें, 800- अन्य व्यय- 09-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केंद्र-31– सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रु० 100.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु० 60.00 लाख (रूपये साठ लाख मात्र) एवं मानक मद "20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित धनराशि रु० 100.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाये जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए न किया जाए एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जाए।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक पूर्णरूपेण कर लिया जाए। यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित कर दिया जाए।

(4) वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-084, लेखा शीर्षक-2250001010900 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), (*2*) रुपये 60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-084, लेखा शीर्षक-2250001010900 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र मानक मद 31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजमन सरोज)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज/लखनऊ।
3. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ।
5. उप कुलसचिव, वैदिक विज्ञान केन्द्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
6. समन्वयक, वैदिक विज्ञान केन्द्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वाराणसी।
8. सामान्य प्रशासन, अनुभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-5
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(राजमन सरोज)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in